@shahjahanpurpol

प्रेस नोट दिनांक-29.10.2022

थाना पुवायां व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी,

***नकली देशी शराब बनाकर बेचने वाले गिरोह का किया खुलासा,**

03 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, 246 नकली शराब के पव्वे, 15 ली0 नकली शराब, खाली पौव्वे, मोटरसाइकिल आदि बरामद।

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी व अवैध शराब की तस्करी निष्कर्षण पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे प्रभावी अभियान के क्रम मे श्री संजीव कुमार बाजपेयी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायां के पर्यवेक्षण में थाना पुवायां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 28.10.2022 को थाना पुवायां व आबकारी की संयुक्त टीम को सूचना मिली कि एक व्यक्ति मोहल्ला गढी मे स्थित विशम्भर की दुकान के सामने बृजगोपाल के चबूतरे पर अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। और कुछ लोग मो0 सा0 से उस व्यक्ति को शराब का सप्लाई करने आने वाले है। मुखबिर खास की सूचना पर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा व्यक्ति रवि प्रजापति को मौके गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के पास एक गत्ते की पेटी मे 30 पौवे सोल्जर ब्राँड के रैपर लगे देशी शराब के बरामद किये गये तथा कड़ाई से पूँछने पर सामने वाली विशम्मर की दुकान से तीन गत्ते की पेटियो मे प्रत्येक मे कुल 135 पौव्वे बरामद किये गये।

इस दौरान अम्बेडकरनगर मोहल्ले की तरफ से एक सफेद रंग की अपाचे मो0सा0 से आते हुए दो व्यक्ति 1-अंकित व 2-महेन्द्र वर्मा को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तो के कब्जे से एक काला बैग से 70 (सत्तर) पौवे सोल्जर के रैपर लगे अवैध देशी शराब के बरामद किये गये। मौके पर बरामदशुदा सोल्जर ब्रांड के रैपर लगे सभी शराब के पौवो पर लगे क्यू आर कोड़ स्टीकर को यू0पी इक्साज स्केनर एप से सकैन किया गया तो Invalid case code/Bar code length लिखकर मोबाइल पर आया। जिससे स्पष्ट हो गया कि यह शराब आबकारी विभाग मानक विवरण के अनुरूप नही है बल्कि यह क्यू आर कोड नकली व कूटकृत है। तथा पौवो पर लगे ढक्कन भी नकली पाये गये। अभियुक्तो की अभियुक्तो की निशानदेही पर रामदेवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पास खाली जगह सुनसान स्थान से एक जरीकेन मे करीब 15 लीटर अवैध शराब व प्लास्टिक के कट्टे मे 65 खाली पौवे सोल्जर ब्रांड के रैपर लगे तथा 11(ग्यारह) निर्मित पौवे बरामद किये गये। इस सम्बन्ध मे थाना पुवायां पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। प्रकाश मे आये अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा सघन प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्तो के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी/ बरामदगी का दिनांक , समय व घटनास्थल –

दिनांक 28.10.2022 समय रात्रि 10.00 बजे , मोहल्ला गढी मे बृजगोपाल के चबूतरे

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-रवि प्रजापति पुत्र क्रमशः- तिरमल प्रजापति नि0 मो0 अम्बेडकर नगर कस्बा व थाना- पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2-अंकित जायसवाल पुत्र अवधेश कुमार नि0 ग्रा0 व पो0 रायपुर गढी थाना माखी जिला उन्नाव हाल निवासी C/O महेन्द्र वर्मा नि0 मो0 इन्द्रानगर मकान नं0 31 पुलिस चौकी कचहरी थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर
3-महेन्द्र वर्मा पुत्र राजाराम नि0 मो0 इन्द्रानगर म0नं0 31 पुलिस चौकी कचहरी थाना सदर बाजार जिला शाहजहाँपुर मूल निवासी ग्राम- पिपरिया प्रहलाद थाना रोजा जिला शाहजहाँपुर

प्रकाश मे आये अभियुक्त का विवरण-

1-रवि शुक्ला उर्फ मिन्टू उर्फ लालबाबा पुत्र रघुबर दयाल शुक्ला उर्फ रग्घू शुक्ला निवासी मो0 गढी कस्बा व थाना- पुवायां जिला शाहजहाँपुर
2-एक व्यक्ति नाम पता व अज्ञात

बरामदगी का विवरण –

1- 246 पौवे सोल्जर ब्राण्ड के रैपर लगे नकली ढक्कन नकली क्यूआर कोड लगे बनी हुई नकली अवैध देशी शराब,
2- 65 खाली पौवे,
3- एक जरीकेन करीब 15 लीटर अवैध रंगीन देशी शराब
4- एक अदद अपाचे मो0सा0नं0 **UP35AK4218**

पूछताछ का विवरणः

पूछताछ मे अभियुक्त रवि प्रजापति ने बताया कि रवि शुक्ला उर्फ मिन्टू उर्फ लालबाबा पुत्र रघुबर दयाल शुक्ला उर्फ रग्घू शुक्ला निवासी मो0 गढी कस्बा व थाना- पुवायां जिला शाहजहाँपुर प्रतिदिन 180 रू0 शराब को बेचने के लिए मजदूरी के रूप मे देता है। यह दुकान भी उसने 600 रूपये मे किराये पर शराब रखने के लिए ले रखी है। अभियुक्त अंकित जायसवाल व महेन्द्र वर्मा ने बताया कि इस शराब को खाली पौवो मे हम लोग नकली शराब भरकर उसपर नकली ढक्कन और नकली क्यूआर कोड चस्पा कर उत्तर प्रदेश के ठेके पर बिकने वाले शराब के समतुल्य बनाते है जो सोल्जर ब्राँड है। इस प्रकार बने हुई नकली शराब के पौने को उत्तर प्रदेश की शराब बताकर लोगो को धोखा देकर असली के तौर बिक्री व सप्लाई करते है। दोनो व्यक्तियो से नकली ढक्कन, रैपर, कूटरचित क्यूआर कोड, खाली पौवे व अवैध शराब के बारे मे पूँछा गया तो बताया कि एक व्यक्ति मोहम्मदी की तरफ से आता है और यह सभी शराब बनाने के सामन दे जाता है फिर हम दोनो मो0 अम्बेडकर नर मे रामदेवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पास खाली जगह सुनसान स्थान पर खाली पौवो मे नकली शराब भरकर उस पर नकली रैपर ढक्कन, नकली क्यूआर कोड लगाकर शराब के पौवो को बनाते है। रवि शुक्ला उर्फ मिंटू उर्फ लाल बाबा जब हमे फोन करता है तब हम रवि प्रजापति को शराब के पौवे दे जाते है और रूपये भी रवि शुक्ला से ही लेते है। अभियुक्तो की निशानदेही पर रामदेवी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पास खाली जगह सुनसान स्थान से एक जरीकेन मे करीब 15 लीटर अवैध शराब व प्लास्टिक के कट्टे मे 65 खाली पौवे सोल्जर ब्रांड के रैपर लगे तथा 11(ग्यारह) निर्मित पौवे बरामद किये गये।

<u>*पंजीकृत अभियोग –*</u>

1. मु0अ0सं0 0872/22 धारा 420,467,468,471 भादवि व 60(1) व 72 आबकारी अधि0 थाना पुवायां शाह0

<u>*पुलिस टीम का विवरण-*</u>
<u>*थाना पुवायाँ पुलिस टीम*</u>

1- प्र0 नि0 श्री प्रदीप कुमार राय 2- व0उ0नि0 जुगुल किशोर पाल 3- का0 101 गोपाल सिंह, 4- का0 2327 रोहित कुमार 5- का0 897 अक्षय बालियान 6- का0 2697 सुन्दरपाल

<u>*आबकारी विभाग टीम*</u>

1- आबकारी निरीक्षक श्री गुरूप्रसाद गुप्ता 2- HC राजेन्द्र कुमार पाल 3- HC शरद बनौधा 4- का0 संजय गौतम